93

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1000—दो/2008 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 10.07.08 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 86/अपील/2005—06.

.....

शिवशंकर पुत्र जमुनाप्रसाद ब्राम्हण
निवासी ग्राम एन्हो हाल निवासी
वार्ड कमांक—2 गोहद जिला भिण्ड

——— आवेदक

विरूद्ध

1—भीखमराम पुत्र हरिविलास
निवासी एन्हो हाल निवास सिद्धेश्वर नगर
मुरार जिला ग्वालियर म0प्र0
2—गंगाप्रसाद पुत्र जमना प्रसाद ब्राम्हण
निवासी ग्राम एन्हो हाल निवासी
वार्ड कमांक—2 गोहद जिला भिण्ड
3—छोटेलाल पुत्र रामप्रसाद
निवासी एन्हो हाल निवासी शेरपुर
तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
4—लक्षमण 5—लज्जाराम पुत्रगण रामप्रसाद
6—केशवप्रसाद 7—रामेश्वर दयाल
8—जगदीश 9—राजेन्द्र पुत्रगण ठाकुरप्रसाद
निवासी 4 से 9 ग्राम एन्हो तहसील
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
10— म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड

.....

श्री के0 के0 द्विवेदी अभिभाषक, आवेदक
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदकगण
श्री प्रखर डेंगूलर पैनल, अभिभाषक,अना0 क0—10

.....

आदेश

(आज दिनांक 25-06-18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश 10.07.08 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम एन्हो तहसील गोहद में स्थित विवादित भूमि सव्रे कमांक 1247 रकवा 0.13 है0 जिसके रकवा 0.10 है0 आवेदक के स्वामित्व में हैं बन्दोवस्त के दौरान सर्वे कमांक 1247 के निर्माण में त्रुटि हो जाने के कारण अनावेदक भीखाराम द्वारा तहसीलदार गोहद को आवेदन पेश किया गया। तहसीलदार गोहद द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र को राजस्व निरीक्षक की ओर स्थल निरीक्षण करते हुये जांच प्रतिवेदन जांच के लिये भेजा गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 4.9.04 को स्थल निरीक्षण किया जाकर जांच प्रतिवेदन तहसीलदार गोहद को भेजा। तहसीलदार द्वारा जांच प्रतिवेदन के आधार पर अपने आदेश दिनांक 28.5.05 द्वारा राजस्व अभिलेख दुरूस्त करने का आदेश पारित किया। इससे दुखित होकर आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोहद के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा प्रकरण कमांक 45/अपील/04–05 में दर्ज कर दिनांक 12.12.05 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई, इससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 86/अपील/05–06 पर दर्ज होकर दिनांक 10.7.2008 को आदेश पारित करते हुये अपील निरस्त की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपने तर्क में यह भी कहा गया है । तहसीलदार द्वारा आवेदक को कोई भी सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है और न ही आवेदक को प्राप्त हुआ इस प्रकार तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सूचना सुनवाई का

अवसर प्रदान किये बिना जो आदेश पारित किया है वह अपास्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि आवेदक के विरूद्व जो कार्यवाही की गई है वह राजस्व निरीक्षक के एक पक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर की गई है राजस्व निरीक्षक का एक पक्षीय प्रतिवेदन जो कि साक्ष्य में ग्राह्य योग्य ही नहीं था को आधार बनाकर जो आदेश तहसीलदार द्वारा पारित किया गया है वह अपास्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया है कि तहसीलदार न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संपादित कर आवेदक को सूचना सुनवाई का विधिवत अवसर दिया गया था । अतः इस कारण तहसीलद न्यायालय की कार्यवाही विधिवत होने से स्थिर रखे जाने योग्य हें जबकि यह निष्कर्ष वास्तविकता एवं अभिलेख के विपरीत हैं आवेदक को किसी भी प्रकार का कोई भी सूचना पत्र कभी भी तहसील न्यायालय द्वारा नहीं दियरा गया था और न ही उसे प्राप्त हुआ इस प्रकार तहसील न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही की गई है वह आवेदक के विरूद्व एक पक्षीय रूप से होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध कियागया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदकगण के अधिवक्ता का तर्क है.कि म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 89 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां तहसीलदार को शासन द्वारा प्रदान की गई है। आवेकद को भेजा गया नोटिस अदम तामील वापिस आने पर पुनः चस्पा से कराये जाने हेतु भेजा गया था। नोटिस का निर्वाह विधिवत तरीके से कराया गया था। आवेदक के उपस्थित न होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा उसके विरूद्व एक पक्षीय आदेश पारित किया गया। अनावेदकगण के अधिवक्ता ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में विधिवत स्थल निरीक्षण करया और राजस्व निरीक्षक से विधिवत स्थल निरीक्षकण कराया गया जांच रिपोर्ट प्रापत की गई । प्रकरण में संपूर्ण प्रकिया अपनाई जाकर ही आदेश पारित किया ग्या था जिसे अपील में विद्वान अनुविभागीय अधिकारी गोहद द्वारा आदेश स्थिर रखा गया और अपर आयुक्त चंबल संभाग द्वारा भी आदेश को स्थिर रखा गया है। आवेदक द्वारा जान बूझकर प्रकरण को उलझाये रखना चाहते है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्षों के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को विधिवत सूचना पत्र भेजा है तथा वह मौके पर न मिलने पर पुनः चस्पा से भेजा गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक को नियमानुसार सूचना जारी की गई है और न आने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवही की गई थी। दूसरा तथ्य यह है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख दुरूस्त करने से पहिले राजस्व निरीक्षक से विधिवत स्थल का निरीक्षण कराया गया तथा जांच प्रतिवेदन मंगाया गया जिसमें मौके की स्थिति के अनुसार सभी सहखातेदारों के कब्जे के अनुसार प्रतिवेदन तैयार किया गया है और बन्दोवस्त के समय हुई त्रुटि को दुरूस्त किया गया है। इससे यह स्पष्ट सिद्व होता है कि तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में कोई त्रुटि नहीं की गई है। तहसीलदार के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी गोहद द्वारा यह पाया है कि तहसीलदार द्वारा पहिले सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात ही आदेश पारित किया है जिससे विचारण न्यायालय द्वारा कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की गई है और उनका आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थिर रखा गया है।

6– प्रकरण के अवलोकन से यह भी सिद्व होता है कि आवेदक द्वारा ऐसा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे द्वितीय अपील में अपर आयुक्त द्वारा कोई हस्तक्षेप किया जा सके, और उनके द्वारा तहसीलदार गोहद एवं अनुविभागीय अधिकारी गोहद द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे गये हैं। इससे अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होने के कारण उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 86/अपील/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 10.07.08 स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर